

परियोजना का नाम:- गैरसैन विधान सभा परिसर पेयजल योजना (भराडी सैण)
 भू-वैज्ञानिक / निर्माण शाखा ड० पे. निगम रुद्रप्रसाद जिला टॉस्क फोर्स की संस्तुतियों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण-पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना हेतु भू-वैज्ञानिक / जिला टॉस्क फोर्स द्वारा दिये गये सुझावों / शर्तों का निर्माण कार्य के दौरान निर्माण शाखा ड० पे. निगम रुद्रप्रसाद द्वारा पूरी तरह अनुपालन किया जायेगा।



ह0 / 
 प्रयोक्ता एजेन्सी
 निर्माण शाखा
 चतराखण्ड पेयजल निगम
 रुद्रप्रसाद

परियोजना का नाम:- जैरसैठ विधान (अन) पीरस प.प्र.०
निर्माण शाखा ए.प्र.नि.ग. के.प्र.प्र.प.

भू-वैज्ञानिक की आख्या
प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित प.प्र.० हेतु प.प्र.०-०६८८ विधान के लिए
भू-वि. 6० से.सी. चौड़ाई ०.६५४ मी. की रुकानी की जाती है। एवं पुनः म.प्र.०
प.प्र.०-०६८८ यवों में प्रयोग किया जायेगा, जिस हेतु भू-वैज्ञानिक की ह०/
आ.प्र.० आ.प्र.० नदी है। ह० प्रमाणित एजेन्सी भू-वैज्ञानिक

नोट :-प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भू-वैज्ञानिक की आख्या प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न की जायेगी।

परियोजना का नाम:- जैरसैठ विधान (अन) पीरस प.प्र.०.

भू-वैज्ञानिक की संस्तुतियों/सुझावों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु भू-वैज्ञानिक द्वारा दिये गये सुझावों/संस्तुतियों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।



 ह०/-

(प्रयोक्ता एजेन्सी)

निर्माण शाखा

प्रमाणित एजेन्सी

नोट :-प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा उक्त प्रमाण-पत्र भू-वैज्ञानिक की आख्या के आधार पर प्रस्ताव के साथ संलग्न की जायेगी।